संख्या-17/2020/आ0मि0-105/96-आयुष-2-2020-53/2018

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 सितम्बर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना हेतु स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-270/2020-21/57-इ/मि0नि0, दिनॉक 28.07.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश रू0 486.110 लाख (रू0 चार करोड़ छियासी लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एस-21012/02/2020-एनएएम सेल, दिनॉक 30.06.2020 द्वारा वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020-21 में बजट स्वीकृत के आधार पर।

2- स्वीकृत धनराशि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी। किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

4- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य की पुनरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- प्रस्तावित कार्यों को समय से कराये जाने का पूर्ण दायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

6- स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथास्थिति अवशेष धनराशि के समायोजन का उत्तरदायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 एवं पत्र संख्या-2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11-04-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/ बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

9- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

10- विभाग द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जायेगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

11- विभाग द्वारा इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेगें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक सपठित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 में अनुदान संख्या-34 के लेखा शीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-102-होम्योपैथी-01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय आयुष मिशन (के0-60/रा0-40-के0+रा0)-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-3-817(1)/दस-2020, दिनॉक 04-09-2020 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(प्रशान्त त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-17/2020/आ0मि0-105(1)/96-आयुष-2-2020, तददिनांक।

1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
2- महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज।
3- अवर सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष भवन, बी-ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
4- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त् संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0बी0एस0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।